

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्र. :- 121/2016)

(संस्थित दिनांक :- 16/03/16)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. गन्धर्व सिंह पुत्र जनक सिंह कौरव, उम्र 53 वर्ष।

02. लालू सिंह पुत्र गन्धर्व सिंह कौरव, उम्र 26 वर्ष।

निवासीगण :- ग्राम चिरौल, थाना-मौ, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्तगण।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 07/10/2017 को घोषित)

01. आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू सिंह पर धारा 294, 452, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने दिनांक :- 07/02/2016 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी राघवेन्द्र शर्मा का मकान स्थित ग्राम चिरौल में, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी राघवेन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी राघवेन्द्र एवं उसकी पत्नी पपीता की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी राघवेन्द्र एवं उसकी पत्नी पपीता की लाठी-डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की एवं फरियादी राघवेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 07/02/2016 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी राघवेन्द्र शर्मा का मकान स्थित ग्राम चिरौल में, आरोपीगण गन्धर्व एवं लालू द्वारा फरियादी राघवेन्द्र के घर में लाठी-डण्डों से सुज्जजित होकर प्रवेश करने, उससे गाली-गलौच करने, उसकी एवं उसकी पत्नी की लाठी-डण्डों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी राघवेन्द्र द्वारा उसी दिनांक थाना मौ पर की जाने पर, थाना मौ में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक :- 30/2016 अन्तर्गत धारा 452, 294, 323 एवं 506 भाग II।

सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू ने एक-एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। फरियादी राघवेन्द्र, आहत पपीता, साक्षीगण राहुल एवं अनूप के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण गन्धर्व सिंह एवं लालू सिंह के विरुद्ध धारा 452, 294, 323 / 34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

01. क्या आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू सिंह ने दिनांक :- 07 / 02 / 2016 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी राघवेन्द्र शर्मा का मकान स्थित ग्राम चिरौल में, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राघवेन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी राघवेन्द्र एवं उसकी पत्नी पपीता की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी राघवेन्द्र एवं उसकी पत्नी पपीता की लाठी-डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहतियों कारित की?

04. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राघवेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

05. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक : 01 लगायत 04

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 04 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में फरियादी राघवेन्द्र शर्मा अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण लालू एवं गन्धर्व को जानता है। घटना दिनांक : 07 फरवरी 2016 के शाम लगभग 05 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि वह अपने दरवाजे पर बैठा था, तभी आरोपी लालू एवं गन्धर्व लाठी-डण्डा लेकर आये और उसे माँ-बहन की बुरी-बुरी गालियाँ देने लगे और बोले कि तुन्हें हमें सरपंची में वोट नहीं दिये, तो उससे आरोपीगण से कहा कि मेरी मर्जी थी, नहीं दिये। वह अपने घर में घुस गया, तो लालू लाठी लेकर एवं गन्धर्व डण्डा लेकर उसे मारने दौड़े एवं उसके घर के अन्दर घुस आये। साक्षी आगे कहता है कि उसके बाद गन्धर्व सिंह ने उसके डण्डा दाहिनी बाह में मारा और लालू ने उसके पीठ में लाठी मारी, जिससे उसे चोट आई थी। तत्पश्चात् उसकी पत्नी पप्पी उर्फ पपीता बचाने आई तो उसकी पत्नी की थप्पड़ों से मारपीट की। तभी घटना के समय अनूप एवं राहुल आ गये थे, जिन्होंने बीच-बचाव कराया था। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मौ में लेखबद्ध कराई गई थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र. पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. आहत/साक्षी पपीता अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण लालू एवं गन्धर्व को जानती है। फरियादी राघवेन्द्र उसका पति है। घटना दिनांक : 07 फरवरी इसी वर्ष के शाम लगभग 05 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि घटना उसके ग्राम चिरोल के उसके घर के दरवाजे की है। घटना के समय उसका पति घर के दरवाजे पर बैठा था, आरोपी लालू एवं गन्धर्व उसके पति को माँ-बहन की गालियाँ दे रहे थे, जब गाली-गलौच के पश्चात् उसका पति घर के अन्दर आ गया, आरोपीगण उसके पति के पीछे उसके घर के अन्दर चले आये और गन्धर्व ने उसके पति की बाह में लाठी मारी एवं लालू ने पीठ में लाठी मारी। साक्षी आगे कहती है कि जब उसने बीच-बचाव किया तो उसे आरोपी लालू ने उसके चेहरे पर नाक के पास लाठी मारी, उसके बाद आरोपीगण मारपीट कर उसके घर से चले गये थे। साक्षी आगे कहती है कि उसने अपने पति से कहा कि चलो घटना की रिपोर्ट करके आते हैं, उसके बाद वह एवं उसका पति घटना के दिन शाम को घटना की रिपोर्ट करने पुलिस थाना मौ गये थे, जहाँ उसके पति ने रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसका एवं उसके पति का ईलाज कराया था। साक्षी आगे कहती है कि जब वह लोग थाने से रिपोर्ट करके लौट आये तो आरोपीगण ने उसके लड़के अनूप एवं राहुल को

धमकी दी कि रिपोर्ट करने जाओंगे तो वह उन्हें से मार डालेंगे। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

10. साक्षी अनूप अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण लालू एवं गन्धर्व को जानता है। घटना दिनांक : 07 फरवरी 2016 के शाम के 05 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण लालू एवं गन्धर्व आये और उसके चाचा राघवेन्द्र को घर में घुसकर लाठी से मारपीट करने लगे और जब उसकी चाची पपीता बचाने आई तो उसकी भी आरोपीगण ने लाठी से मारपीट और बोले कि हमें सरपंची में वोट नहीं दिया और बोले यदि तू रिपोर्ट करने गया तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। पुलिस ने इस संबंध में पूछताछ कर उसका कथन लिया था।

11. साक्षी राहुल अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण लालू एवं गन्धर्व को जानता है। घटना दिनांक : 07 फरवरी 2016 के शाम के 05 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण लालू एवं गन्धर्व ने उसके घर में घुसकर गैलरी में उसके पिता राघवेन्द्र की लाठी से मारपीट की थी और जब उसकी माँ पपीता, उसके पिता को बचाने आई तो उसकी भी आरोपीगण ने मारपीट की थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण ने कहा था कि हमें सरपंची में वोट नहीं दिये थे और उन लोगों से गाली-गलौच भी किया था और आरोपीगण ने कहा था कि यदि तुमने रिपोर्ट की तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 का कहना है कि जिस समय आरोपीगण उसकी मारपीट करने आये, उस समय वह अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। जबकि फरियादी राघवेन्द्र के भतीजे अनूप अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कहना है कि जिस समय आरोपीगण का वह डण्डों के साथ आना बता रहा है, उस समय वह अपने चाचा राघवेन्द्र अ.सा.01 की गैलरी में खड़ा हुआ था और चाचा राघवेन्द्र गैलरी में बैठे हुये थे, ऐसा नहीं था कि चाचा राघवेन्द्र दरवाजे पर हो। इस प्रकार आरोपीगण के आने के समय फरियादी राघवेन्द्र अपने घर के दरवाजे पर था अथवा गैलरी में बैठा हुआ था। इस वावत् फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 एवं कथित रूप से बीच-बचाव करने वाले उसके भतीजे अनूप अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 का कहना है कि जिस समय आरोपीगण उसके घर के बाहर आये उस समय अनूप मेरे अर्थात् राघवेन्द्र के घर के बाहर था। साक्षी आगे कहता है कि जिस समय आरोपीगण उसकी मारपीट कर रहे थे, उस समय अनूप अ.सा.03 उसके घर के अन्दर था। जबकि अनूप अ.सा.03 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि जिस समय की वह

मारपीट होना बता रहा है, उस समय वह चाचा राघवेन्द्र के घर के पास ही मौजूद अपने घर पर था। साक्षी फिर कहता है कि घटना के समय वह मौके पर पहले से ही मौजूद था। इस वावत् फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 के पुत्र राहुल अ.सा.04 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि जिस समय आरोपीगण का आना वह बता रहा है कि उस समय वह अपने घर की छत पर था, पिताजी अर्थात् राघवेन्द्र गैलरी में था और अनूप अ.सा.03 स्वयं के घर पर था और झगड़ा होने के पाँच मिनट बाद अनूप घटनास्थल पर आया था। राघवेन्द्र की पत्नी पपीता अ.सा.02 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में इस वावत् का कहना है कि घटना के समय उसके पति दरवाजे पर अकेला बैठा हुआ था, उनके पास कोई नहीं था, वह अपने घर के अन्दर राहुल एवं अनूप के साथ थी। इस प्रकार आरोपित घटना के समय साक्षी अनूप अ.सा.03 घटनास्थल पर मौजूद था, अथवा नहीं, या वह किस समय घटनास्थल पर पहुँचा था, इस वावत् फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01, उसकी पत्नी पपीता अ.सा.02, उसके भतीजे अनूप अ.सा.03 एवं पुत्र राहुल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 का कहना है कि जिस समय आरोपीगण उसके घर के दरवाजे पर आये उस समय उसका पुत्र राहुल घर के अन्दर था। उसकी पत्नी पपीता अ.सा.02 का भी यह कहना है कि घटना के समय राहुल उसके साथ घर के अन्दर था, जबकि राहुल अ.सा.04 का प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि आरोपीगण के आने के समय वह अपने घर की छत पर था। इस प्रकार घटना के समय राहुल घर के अन्दर माँ पपीता के पास मौजूद था, अथवा छत पर था, इस वावत् राघवेन्द्र अ.सा.01, पपीता अ.सा.02 एवं राहुल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण में यह कहना है कि आरोपीगण ने उसकी पत्नी पपीता की थप्पड़ों से मारपीट की थी। जबकि पपीता अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि आरोपी लालू ने उसके चेहरे पर नाक के पास लाठी मारी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में पपीता अ.सा.02 का कहना है कि उसको मारपीट में केवल नाक के पास आंख में चोट आई थी और कहीं चोट नहीं आई थी, उसकी चोट से खून नहीं निकला था, नील पड़ गया था। अनूप अ.सा.03 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि चाची पपीता बचाने आई तो आरोपीगण ने उसकी भी लाठियों से मारपीट की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में अनूप अ.सा.03 का कहना है कि मारपीट में चाची पपीता की आंख में चोट लगी थी। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में राहुल अ.सा.04 का कहना है कि मारपीट में उसकी माँ पपीता के दोनों कंधों पर चोट आई थी और कहीं चोट नहीं आई थी। इस प्रकार आरोपित घटना में आहत पपीता अ.सा.02 के गालों पर थप्पड़ की चोट

आई थी, अथवा उसकी नाक के पास आंख में लाठी से चोट आई थी अथवा उसकी आंख में चोट आई थी या केवल उसके दोनों कंधों में चोट आई थी, इस वावत् फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01, उसकी पत्नी पपीता अ.सा.02, उसके भतीजे अनूप अ.सा.03 एवं पुत्र राहुल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

16. पपीता अ.सा.02 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि आरोपी लालू ने उसके चेहरे पर नाक के पास लाठी मारी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में पपीता अ.सा.02 का कहना है कि उसको मारपीट में केवल नाक के पास आंख में चोट आई थी और कहीं चोट नहीं आई थी, उसकी चोट से खून नहीं निकला था, नील पड़ गया था। आहत पपीता अ.सा.02 का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर पवन सेंगर ने उसके मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 में आहत पपीता के नाक के पास आंख में किसी चोट का कोई उल्लेख नहीं किया है, ना ही डॉ.सेंगर ने आहत पपीता के कंधों में किसी चोट का कोई उल्लेख किया है, बल्कि मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.04 में आहत पपीता के दाहिने गाल पर दर्द एवं सूजन एवं उसके पेट में दाहिनी तरफ दर्द का उल्लेख किया है, जिसका भी उल्लेख पपीता या राहुल, या अनूप द्वारा उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर नहीं किया गया। इस प्रकार आहत पपीता को शरीर में किस स्थान पर चोट कारित हुई थी, इस वावत् पपीता अ.सा.02, अनूप अ.सा.03 एवं राहुल अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं डॉ.पवन सेंगर द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

17. पपीता अ.सा.02 का मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि जब वह और उसका पति थाने से रिपोर्ट करके लौट आये तो आरोपीगण ने उसके लड़के अनूप एवं राहुल को धमकी दी कि रिपोर्ट करने जाओगे तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। इस तथ्य का कोई उल्लेख राघवेन्द्र अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में नहीं किया है। बल्कि राघवेन्द्र अ.सा.01 ने उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में यह उल्लेख किया है कि आरोपी लालू बोला कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। इस प्रकार उक्त तथ्य के संबंध में फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01 एवं उसकी पत्नी पपीता अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा राघवेन्द्र द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि इस वावत् अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

18. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में अनूप अ.सा.03 का कहना है कि आरोपित घटना में उसके दाहिने हाथ में डण्डा पड़कर चोट लगी थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अनूप अ.सा.03 का कहना है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसके हाथ में भी डण्डे की चोट आई थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में

राहुल अ.सा.04 का कहना है कि बीच-बचाव करने के दौरान उसे एवं अनूप को कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उल्लेखनीय है कि फरियादी राघवेन्द्र अ.सा.01, पपीता अ.सा.02 ने भी उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं यह दर्शित नहीं किया है कि आरोपित घटना में साक्षी अनूप अ.सा.03 को कोई चोट आई थी। इस प्रकार आरोपित घटना में अनूप अ.सा.03 को चोट कारित होने के संबंध में अनूप अ.सा.03, राहुल अ.सा.04, राघवेन्द्र अ.सा.01 एवं पपीता अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य ऐसे विरोधाभाष एवं लोप है, जो इस वावत् उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य को संदेहास्पद बनाते हैं।

19. अभियोजन साक्षी पुरुषोत्तम अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 09/02/2016 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मौ के अपराध क्रमांक 30/2016 अन्तर्गत धारा 452, 294, 323 एवं 506 भाग।। सहपठित धारा 34 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी राघवेन्द्र शर्मा की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही अर्थात् दिनांक : 09/02/2016 को फरियादी राघवेन्द्र, पपीता, राहुल एवं अनूप के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 17/02/2016 को आरोपी गन्धर्व सिंह एवं लालू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 बनाये थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही आरोपी लालू एवं गन्धर्व से एक-एक लाठी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 एवं प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

20. विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि उसने फरियादी राघवेन्द्र, आहत पपीता, साक्षीगण राहुल एवं अनूप के कथन दिनांक : 09/02/2016 को लेखबद्ध किये थे। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अनूप अ.सा.03 का कहना है कि पुलिस ने उसका बयान घटना दिनांक : 07/02/2016 की शाम साढ़े आठ बजे लिया था और ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस ने उसका बयान घटना के चार-पाँच दिन बाद लिया हो। राहुल अ.सा.04 का भी प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में कहना है कि पुलिस ने उसका बयान घटना दिनांक : 07/02/2016 को शाम आठ बजे लिया था, इस प्रकार साक्षी अनूप अ.सा.03 एवं राहुल अ.सा.04 के पुलिस कथन अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. दिनांक : 07/02/2016 को लेखबद्ध किये गये थे, अथवा दिनांक : 09/02/2016 को, इस वावत् अनूप अ.सा.03, राहुल अ.सा.04 एवं विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

21. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.06 ने यह दर्शित किया है कि उसने आरोपी गन्धर्व को दिनांक : 17/02/2016 को 11:40 बजे एवं आरोपी लालू को 11:45 बजे गिरफ्तार किया था। ऐसा नहीं हुआ था कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 में आरोपीगण को क्रमशः 10:40 एवं 10:30 बजे गिरफ्तार किये जाने का उल्लेख हो। आरोपी गन्धर्व के गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 में उसकी गिरफ्तारी का समय दिनांक : 17/02/2016 को 10:40 बजे एवं आरोपी लालू के गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 में उसकी गिरफ्तारी का समय दिनांक : 17/02/2016 को 10:30 बजे का होना दर्शित हो रहा है। इस प्रकार आरोपीगण की गिरफ्तारी के समय के संबंध में विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा बनाये गये गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 में प्रथम पृष्ठ के कॉलम नम्बर 08 में आरोपी गन्धर्व की गिरफ्तारी का समय, दिनांक एवं स्थान अंकित नहीं है। गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.05 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उसका कॉलम नम्बर 08 भरा नहीं गया है, खाली है, जो कि विवेचक पुरुषोत्तम अ.सा.06 की त्रुटि को दर्शित करता है।

22. अभियोजन साक्षी सुल्तान सिंह अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 07/02/2016 को थाना मौ में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी राघवेन्द्र द्वारा थाना आकर आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू के विरुद्ध गाली-गलौच करने, लाठी-डण्डा लेकर घर में प्रवेश करने तथा फरियादी एवं उसकी पत्नी पपीता की मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट करने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सुल्तान अ.सा.07 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध किये जाने संबंधी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू सिंह ने दिनांक :- 07/02/2016 को शाम लगभग 05:00 बजे फरियादी राघवेन्द्र शर्मा का मकान स्थित ग्राम चिरौल में, लाठी-डण्डा लेकर फरियादी को उपहति हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के पश्चात् प्रवेश कर गृह अतिचार किया, फरियादी राघवेन्द्र को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी राघवेन्द्र एवं उसकी पत्नी पपीता की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने फरियादी राघवेन्द्र एवं उसकी पत्नी पपीता की लाठी-डण्डों से मारपीट कर उन्हें

स्वेच्छया उपहृतियों कारित की एवं फरियादी राघवेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू सिंह के विरुद्ध धारा 294, 452, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 294, 452, 323/34 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।

26. प्रकरण में आरोपीगण गन्धर्व सिंह एवं लालू सिंह से जब्तशुदा एक-एक लाठी मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् नष्टकर व्ययनित की जाये। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद